

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)..... जलियाँ (ग)

न्यायालय अधिकारी :- विश्वामित्र मीना RTI

उनवान

जोगेंद्र सिंह

बनाम

सत्यनाथ सिंह खत्री

वा बाबत :-

हुमना प्रतियोगिता के पत्राचार प/स 100 RTI-955

मुकदमा नम्बर :-

52/02-04-2015

निर्णय दिनांक:-

12-06-2017

वादी की ओर से श्रीम. खत्री

की व प्रतिवादी की ओर से -

की उपस्थिति में आज तारीख 12-06-2017 को विश्वामित्र मीना (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती कि -
विश्वामित्र मीना (पत्रा. नं. 115/070) द्वारा सत्यनाथ सिंह खत्री को कोटकासिम जिल्ला अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए पत्राचार किया गया था।
सत्यनाथ सिंह खत्री ने इस पत्राचार का उत्तर देकर कहा कि वे कोटकासिम जिल्ला अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए योग्य नहीं हैं।
इस आधार पर न्यायालय ने सत्यनाथ सिंह खत्री को कोटकासिम जिल्ला अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया है।
इस आदेश के अन्तर्गत सत्यनाथ सिंह खत्री को कोटकासिम जिल्ला अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया है।
इस आदेश के अन्तर्गत सत्यनाथ सिंह खत्री को कोटकासिम जिल्ला अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया है।
इस आदेश के अन्तर्गत सत्यनाथ सिंह खत्री को कोटकासिम जिल्ला अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख (12-06-2017) को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

(Handwritten Signature)

(विश्वामित्र मीना)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

12/10

मा. व. प्र. २५५ (२०१७) के अन्तर्गत नदिमाग में फायरिंग पर (२०१७) में रिमांड
की दिनांक मुलाखत रिमांड जारी कर (२०१७) रिमांड के लिए पर (२०१७) को
का कार्य समाप्त कर (२०१७) को ही जारी कर (२०१७) के अन्तर्गत
ही पर (२०१७) के अन्तर्गत पर (२०१७) को ही जारी कर (२०१७) को ही
रिमांड के अन्तर्गत में ही जारी कर (२०१७) को ही जारी कर (२०१७) को ही

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)